



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 मई 2018—ज्येष्ठ 5, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

अधि. क्र. 18-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

सं. क्र.	नगर परिषद् का नाम (1)	क्र. (2)	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता (3)	(4)
1.	नगर परिषद्, चिचोली	1.	श्री अमन सिंह पिता श्री अनिल सिंह कुशवाह, निवासी पोष्ट, थाना तह. चिचोली, जिला बैतूल.	

### जिला—बैतूल

1.	नगर परिषद्, चिचोली	1.	श्री जगदीश बसंतपुरे पिता श्री निवासी पो. थाना, आठनेर, जिला बैतूल.
2.	नगर परिषद्, आठनेर	2.	श्री भीमराव बागदे पिता श्री निवासी पो. थाना, आठनेर, जिला बैतूल.

(1)

(2)

(3)

(4)

**जिला—छिंदवाड़ा**

1. नगर परिषद्, मोहगांव

1. श्री कैलाश पालीवाल पिता श्री सुखलाल पालीवाल, वार्ड क्रमांक 14, मोहगांव, जिला छिंदवाड़ा.

**जिला—रायसेन**

1. नगर परिषद्, उदयपुरा

1. श्री भवानी विश्वकर्मा पिता श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा, घाना रोड, उदयपुरा.

2. श्री रामविनोद श्रीवास्तव पिता श्री राममनोहर श्रीवास्तव, अटा मोहल्ला, उदयपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव,